

ल वादीगण श्री रामदेव गुर्जर

वकील प्रतिवादागण


संख्या
क्रम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
मे जारी हुए

09.2023

यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 89, 91, 92(अ), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 05.10.2023 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
किसानगढ़ (अजमेर)

05/10/23

~~पत्रावली~~ पेश हुई। वकील वदी 34.
वकील वदी द्वारा वाद को Note press
किया गया। अतः वदी द्वारा अपना वाद
Note press किये जाने के कारण वदी
का वाद इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है।

~~पत्रावली~~ फेराल शुमार होकर
पत्रावली नम्बर के लिये है।



